विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
0	**कार्यपालक सारांश**	**0-1**
0.1	परिचय	0-1
0.2	अध्ययन के उद्देश्य	0-2
0.3	अध्ययन का विषय क्षेत्र	0-2
0.4	कार्य प्रणाली	0-3
0.5	अधिकृत रास्ता (राइट ऑफ वे) तथा प्रभाव का गलियारा (कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट)	0-3
0.6	पुनर्वास से जुड़े मुद्दे	0-4
0.7	परियोजना मार्ग के दायरे में भू उपयोग	0-4
0.9	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट या प्रभाव का गलियारा	0-6
0.10	कट ऑफ तारीख	0-9
0.11	जनगणना और आधाररेखा सामाजिक-आर्थिक डेटा का विश्लेषण	0-10
0.12	साक्षरता स्तर	0-13
0.13	प्रभावित परिवारों का संसाधन आधार	0-13
0.14	सामान्य गतिविधि	0-14
0.15	पेशेगत पैटर्न	0-15
0.16	घर-परिवारों का औसत वार्षिक आय और व्यय	0-15
0.17	परियोजना केंद्रित पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति	0-15
0.18	Analysis of Alternatives	0-19
0.19	सड़क चौड़ी करने के विकल्प	0-19
0.20	पुनर्स्थापन का समय	0-20
0.21	सांस्थानिक व्यवस्था	0-21
0.22	एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र	0-21
0.23	क्रियान्वयन व्यवस्थाएं और समय सारिणी	0-22
0.24	बजट	0-22

तालिका सूची

तालिका 0.1: मौजूदा आरओडब्ल्यू की उपलब्धता 0-3
तालिका 0.2: परियोजना का प्रभाव 0-6
तालिका 0.3: हानि के अनुसार परिवारों का वितरण 0-6
तालिका 0.4: ऊंचा पुश्ता या एम्बैंकमेंट > 6.0 मी. 0-7
तालिका 0.5: टो वॉल या ढलवा दीवार 0-7
तालिका 0.6: गरौठा-चिरगांव खंड (एसएच-42) को चौड़ा करने का कार्यक्रम 0-7
तालिका 0.7: हानि के प्रकार के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण 0-8
तालिका 0.8 : कट ऑफ तारीख 0-9
तालिका 0.9: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण 0-10
तालिका 0.10: श्रेणी के अनुसार सामुदायिक संपत्तियों का वितरण 0-10
तालिका 0.11: प्रभावित और विस्थापित परिवारों का वितरण 0-10
तालिका 0.12: प्रभाव के प्रकार के अनुसार पीएएफ और पीडीएफ का वितरण 0-11
तालिका 0.13: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट की जनसांख्यिकी 0-11
तालिका 0.14: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में सामाजिक विशेषताएं 0-11
तालिका 0.15: साक्षरता स्तर के अनुसार पीएपी का वितरण 0-12
तालिका 0.16: हानि के प्रकार के अनुसार परिवारों का वितरण 0-12
तालिका 0.17: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में घर-परिवारों का वध्यता स्तर 0-13
तालिका 0.18: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण 0-13
तालिका 0.19: संसाधन आधार 0-14
तालिका 0.20: संरचनाओं की निर्माण टाइपोलॉजी 0-14
तालिका 0.21: सामान्य गतिविधि 0-14
तालिका 0.22: आय के स्तर के अनुसार घर-परिवारों का वितरण 0-15
तालिका 0.23: आय के प्राथमिक स्रोत के अनुसार घर-परिवारों का वितरण 0-15
तालिका 0.24: टिपिकल क्रॉस सेक्शन 0-20
तालिका 0.25: परियोजना सड़क के साथ निर्मित स्थल 0-20
तालिका 0.26: हिस्से या पट्टियां ठेकेदार को सौंपे जाने की योजना 0-21
तालिका 0.27: आरएंडआर नीति पर आधारित आरएंडआर बजट की अनुमानित लागत 0-22

संक्षिप्त अक्षर

BPL बीपीएल	गरीबी की रेखा के नीचे
CBO सीबीओ	सामुदायिक आधार संगठन
COI सीओआई	प्रभाव का गलियारा
CPCB सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPR सीपीआर	साझा संपत्ति संसाधन
DC डीसी	जिला कलेक्टर
EA ईए	पर्यावरण आकलन
ESDRC ईएसडीआरसी	पर्यावरणिक सामाजिक विकास और पुनर्स्थापन समिति
EIA ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
EMP ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
EP ईपी	हकदार/पात्र व्यक्ति
ESMF ईएसएमएफ	पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा
GSHAP जीएसएचएपी	वैश्विक भूकंपीय खतरा आकलन कार्यक्रम
GoUP जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
Govt.	सरकार
GOI जीओआई	भारत सरकार
GRC जीआरसी	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
HCA एचसीए	गृह निर्माण भत्ता
MoEF एमओईएफ	वन और पर्यावरण मंत्रालय
MORST एमओआरएसटी	सड़क और सतह परिवहन मंत्रालय
NEIAA एनईआईएए	राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
NGO एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
PAP पीएपी	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
PAF पीएएफ	परिजोजना प्रभावित परिवार
PDF पीडीएफ	परियोजना विस्थापित परिवार
PDP पीडीपी	परियोजना विस्थापित व्यक्ति
PIU पीआईयू	परियोजना क्रियान्वयन इकाई

PMC	पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
PWD/UPPWD	पीडब्ल्यडी/यूपीपीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग/उत्तर प्रदेश लोग निर्माण विभाग
R&R	आर एंड आर	पुनर्स्थापन और पुनर्वास
RAP	आरएपी	पुनर्वास कार्य योजना
RFCTLAR&R	आरएफसीटीएलएआरएंडआर	भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013
ROW/RoW	आरओडब्ल्यू	राइट ऑफ वे
RRO	आरआरओ	पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिकारी
RTI	आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
SC/ST	एससी/एसटी	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
SEIAA	एसईआईएए	राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण
SES	एसईएस	सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
SH	एसएच	राज्य राजमार्ग
SIA	एसआईए	सामाजिक प्रभाव आकलन
SLAO	एसएलएओ	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी
SMF	एसएमएफ	सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा
SOR	एसओआर	दर सूची
u/s	यू/एस	धारा के अधीन
UP/U.P.	यूपी/यू.पी.	उत्तर प्रदेश
UPPCB	यूपीपीसीबी	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

शब्दावली

गरीबी रेखा के नीचे	:	सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट धनराशि से कम हो।
प्रभावों का गलियारा	:	सड़क के उन्नयन के लिए आवश्यक भूमि की चौड़ाई।
विकास खंड	:	अनेक गांवों का एक समूह जिसके प्रशासनिक प्रमुख विकास खंड अधिकारी होते हैं।
जिला कलेक्टर	:	जिले का प्रशासनिक प्रमुख

परिभाषाएं

कटऑफ तारीख	:	i) भूमि अधिग्रहण से कानूनी स्वत्वाधिकार-धारियों के प्रभावित होने की स्थिति में कटऑफ तारीख आरएफसीटीएलएआरएंडआर अधिनियम, 2013 की धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के जारी होने की तारीख होगी। ii) गैर-स्वत्वाधिकार धारियों के लिए कटऑफ तारीख जनगणना सर्वे की तारीख होगी;
परियोजना प्रभावित व्यक्ति	:	वह व्यक्ति जो परियोजना के निर्माण के कारण वासभूमि सहित अपनी जमीन और उस पर बनी इमारत, व्यापार और पेशे के संदर्भ में प्रभावित हुआ है।
परियोजना विस्थापित व्यक्ति	:	वह व्यक्ति जो परियोजना के कारण अपना निवास स्थान और/या व्यवसाय का कार्यस्थल बदलने के लिए मजबूर हुआ है।
परियोजना प्रभावित परिवार	:	परिवार में एक व्यक्ति, उसका जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे, अवयस्क भाई और अवयस्क बहन, जो उस पर आश्रित हों, शामिल हैं। बशर्ते कि विधवाओं, तलाकशुदाओं और परिवार द्वारा परित्यक्त महिलाओं को पृथक परिवार माना जाएगा; स्पष्टीकरण – जीवनसाथी के साथ या बगैर एक वयस्क पुरुष या महिला या बच्चों या आश्रितों को इस कानून के उद्देश्य के लिए पृथक परिवार माना जाएगा।
जमीन मालिक/भू स्वामी	:	"जमीन मालिक/भू स्वामी" में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है - (i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकार के अभिलेखों में उस जमीन या भवन या उसके हिस्से के मालिक या स्वामी के रूप में दर्ज है; या (ii) कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 या वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अधीन वन अधिकार प्रदान किए गए हैं; या (iii) जो राज्य के किसी भी कानून के अधीन प्रदत्त जमीनों सहित उस जमीन पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार है; या (iv) कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय अथवा प्राधिकरण के आदेश के द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो।
सीमांत किसान	:	"सीमांत किसान" का अर्थ है वह किसान जिसके पास एक हेक्टेयर तक गैर-सिंचित जोत जमीन हो या आधे हेक्टेयर तक सिंचित जोत जमीन हो।
लघु किसान	:	"लघु किसान" का अर्थ है वह किसान जिसके पास >1 हेक्टेयर तक गैर-सिंचित जोत जमीन हो या एक हेक्टेयर तक सिंचित जोत जमीन हो, लेकिन सीमांत किसान की जोत जमीन से अधिक हो।

अतिक्रमणकारी	:	एक व्यक्ति जिसने अपनी जमीन या संपत्ति से सटी हुई सरकारी/ निजी/ सामुदायिक जमीन का अतिक्रमण कर लिया है जिसका वह अधिकारी नहीं है और जिससे वह कटऑफ तारीख के पहले से अपनी आजीविका और आवास प्राप्त कर रहा/रही है।
कब्जाधारी	:	एक कब्जाधारी वह व्यक्ति है जो कटऑफ तारीख से पहले आवास या आजीविका के लिए सार्वजनिक स्वामित्व की जमीन पर बस गया है या जिसने बगैर प्राधिकार के सावर्जनिक स्वामित्व की इमारत पर कब्जा किया हुआ है।
भूमिहीन/खेतिहर मजदूर	:	वह व्यक्ति जिसके पास कटऑफ तारीख से पहले अपनी कोई भी कृषि भूमि नहीं है और अपनी मुख्य आमदनी के लिए दूसरों की जमीन पर उप-काश्तकार के रूप में या खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है।
गरीबी रेखा के नीचे	:	ऐसा घर-परिवार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी भारत के योजना आयोग द्वारा निर्धारित एक निर्दिष्ट धनराशि से कम है, उसे गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) घर-परिवार माना जाएगा।
वध्य/कमजोर व्यक्ति	:	वध्य या कमजोर समूह में निम्नलिखित शामिल होंगे किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : a. वे लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित "गरीबी की रेखा के नीच" श्रेणी के तहत आते हैं; b. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा समुदाय के सदस्य; c. ऐसे घर-परिवार जिनकी मुखिया महिलाएं हैं;

* पीएपी में परियोजना विस्थापित परिवार शामिल हैं, लेकिन सभी पीएपी विस्थापित व्यक्ति नहीं भी हो सकते हैं।

0 कार्यपालक सारांश

0.1 परिचय

राज्य में 2,99,604 कि.मी. का सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 1,74,451 कि.मी. सड़कें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आती हैं। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों में 7,550 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), 7,530 कि.मी. के राज्य या प्रादेशिक राजमार्ग (एसएच), 5,761 कि.मी. की प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर), 3,254 कि.मी.की अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) और 1,38,702 कि.मी. की ग्रामीण सड़कें (वीआर) हैं। केवल 60 प्रतिशत राज्य राजमार्ग दो लेन (7 मी.) हैं। पूरे राज्य में 62 प्रतिशत एमडीआर और 83 प्रतिशत ओडीआर की चौड़ाई 7 मी. से कम है।

यातायात नेटवर्क में सुधार लाने के नजरिये से यूपी पीडब्ल्यूडी ने विकास के लिए 24,095 कि.मी. लंबे कोर रोड नेटवर्क की पहचान की है। कोर रोड विकास कार्यों में निर्माण धरातल को ऊंचा उठाना, मौजूदा एक लेन या मध्यवर्ती लेन की चौड़ाइयों को बढ़ाकर पूर्ण दो लेन चौड़ाई तक लाना और/या पेवमेंट या पक्के फर्श को बहाल/मजबूत करना आते हैं। सड़कों के जिन खंडों पर गैर-मोटर यातायात की मात्रा बहुत अधिक है, उन्हें 10 मी. तक चौड़ा किया जाएगा, जिनमें 1.5 मी. के पूर्ण पेव्ड शोल्डर होंगे। शहरी इलाकों से गुजरने वाले सड़क के हिस्सों को चार लेने के खंड़ों में उन्नत करने की और/या जहां जरूरी हो वहां नालियों, सड़क किनारे पैदल मार्ग और पार्किंग आदि की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में सड़क की सीध मिलाने के लिए नई सड़क बनाने (बायपास और/या पुनर्निमाण) की भी जरूरत पड़ सकती है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (यूपीसीआरएनडीपी) की अभिकल्पना की गई है। यूपीसीआरएनडीपी के तीन अवयव होंगे :

- कोर रोड नेटवर्क (सीआरएन) की चुनिंदा सड़कों का उन्नयन/ पुनर्निर्माण/ चौड़ा करना और साथ ही पुनर्बहाली, जिसमें लखीमपुर खीरी जिले में पचफेरी घाट पर एक नए शारदा पुल का निर्माण भी शामिल हैं।
- सड़क सुरक्षा अवयव : सड़क सुरक्षा के उप-अवयवों का एक विशद और समन्वित पैकेज परिवहन, गृह, लोक निर्माण और स्वास्थ्य विभागों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- सड़क क्षेत्र और सांस्थानिक सुधार अवयव : इस अवयव में ऐसे एक कार्यक्रम को शामिल करना संभावित है, जिससे एसएच, एमडीआर और ओडीआर के लिए पीडब्ल्यूडी के परिसंपत्ति प्रबंधन को मजबूत बनाया जाएगा और मानव संसाधन प्रबंधन के लिए आईटी प्रणालियों को लागू करने, निर्माण कार्यों के बजट बनाने तथा पीडब्ल्यूडी के पूरे संगठन में प्रबंधन के लिए सहायता दी जाएगी।

इस परियोजना में शामिल करने के लिए चुने गए गरौठा-चिरगांव मार्ग ने परियोजना व्यवहार्यता अध्ययनों में आंतरिक उच्च प्रतिलाभ दरें प्रदर्शित की हैं। हालांकि ऐसे प्रतिलाभों की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, किंतु परियोजना से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह खेती-किसानी, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और जन सुरक्षा के रास्ते में आने वाली विकास की रुकावटों को कम करने में मदद करेगा और साथ ही विकास गतिविधियों का सामान्य विस्तार करने और उनमें विविधता लाने में योगदान देगा। परियोजना मार्ग, गरौठा-चिरगांव मार्ग (एसएच-42) हमीरपुर-चिरगांव (झांसी) मार्ग का एक खंड है। संपूर्ण सड़क को तीन पैकेजों में बांटा गया है :

- गरौठा-चिरगांव (झांसी), 48.94 कि.मी. (118+600 कि.मी. से 167+540 कि.मी.)
- हमीरपुर-राठ सड़क, मौजूदा लंबाई 75.7 कि.मी. (2+000 कि.मी. से 77+720 कि.मी.)
- राठ-गरौठा, 35.0 कि.मी.। यह अनुपस्थित कड़ी है और ओडीआर/एमडीआर से होकर सड़क को मिलाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सड़क को दूसरे चरण (फेज II) में बोली के लिए लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग 5- वर्षों की अवधि में इस परियोजना को क्रियान्वित करेगा। हालांकि इस गलियारे विशेष में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं है, लेकिन गैर-स्वत्वाधिकार-धारी हैं, जिन पर परियोजना की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

और इसी के अनुरूप पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) तैयार की गई है। पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना है, ताकि प्रभावों को कम से कम किया जा सके और इन प्रभावों की गंभीरता कम करने के उपाय किए जा सकें। चूंकि विस्थापन अपरिहार्य है, इसलिए पुनर्वास को इस तरीके से करने की जरूरत है जिससे पीएपी के जीवन स्तर को पुनर्स्थापित किया जा सके। वध्य और कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरएपी में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पीएपी को उनकी गंवाई गई परिसंपत्तियों के लिए विस्थापन मूल्य से हर्जाना अदा किया जा सके और उन्हें परियोजना से पहले की अपनी सामाजिक-आर्थिक हैसियत को फिर से हासिल करने या उसमें सुधार लाने के लिए समर्थ बनाया जा सके। आरएपी एक जीबंत और अद्यतन दस्तावेज है और इसे समय-समय पर आवश्यकतानुसार नवीनतम बनाया जाएगा। इस प्रकार रूपांतरित डेटा के आधार पर अंतिम आरएपी की क्रियान्वयन किया जाएगा।

यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी) के पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) से बना है। आरएपी भारत सरकार (जीओआई) और विश्व बैंक की सभी पुनर्स्थापन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और जन भागीदारी, पर्यावरण मूल्यांकन और मूल निवासियों सहित इस संदर्भ में लागू होने वाले भारत सरकार तथा विश्व बैंक (ओडी 4.20 और 4.30) के विनियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करता है। यह *उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं से विस्थापित और प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति* की पुष्टि करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 19 अगस्त 2014 के पत्र संख्या 1195(1)/23-12-14 के माध्यम से इस नीति को स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी तथा समुदाय-आधारित संगठनों की सहायता से इस आरएपी का क्रियान्वयन करेगा।

0.2 अध्ययन के उद्देश्य

पहले सामाजिक संविक्षा या पड़ताल की गई और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- ✓ एक आधाररेखा डेटाबेस बनाना जिसमें प्रस्तावित मार्ग के बिल्कुल नजदीक के जनसाधारण और महत्वपूर्ण बातों का विवरण होगा;
- ✓ सड़क को चौड़ा करने/सुधार करने के प्रस्तावों से संभवतः प्रभावित होने वाली इमारतें या संरचनाएं;
- ✓ सामाजिक समस्याओं को सामने लाना और उन सामाजिक समस्याओं का शमन करने के लिए सामान्य तथा विशिष्ट मिटिगेशन उपायों के सुझाव देना, जिनका सामना परियोजना प्रभावित लोगों को करना पड़ सकता है, जैसे आजीविका की हानि, विस्थापन और सामुदायिक सुविधाओं से वंचित होना, आदि;
- ✓ एक पुनर्स्थापन कार्य योजना विकसित करना, ताकि परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को टाला, कम या हल्का किया जा सके और सकारात्मक प्रभावों, स्थायित्व और विकास लाभों को बढ़ाया जा सके।

0.3 अध्ययन का विषय क्षेत्र

अध्ययन के विषय क्षेत्र में शामिल है:

- प्रभावित होने वाली संभावित इमारतों का इमारत सत्यापन सर्वे और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का सामाजिक-आर्थिक सर्वे करना, ताकि प्रभाव के स्तर के बारे में आधाररेखा जानकारी जुटाई जा सके और पीएपी की आधाररेखा सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके।
- एक 'स्ट्रिप प्लान' या खाली करने की योजना तैयार करना, जिसमें परियोजना के मार्ग के साथ प्रभावित होने वाली संभावित मौजूदा इमारतों को दिखाया गया हो।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) अध्ययनों सहित सामाजिक प्रभाव आकलन का संचालन करना।
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट और पुनर्स्थापन कार्य योजना की तैयारी।

0.4 कार्य प्रणाली

पुनर्स्थापन कार्य योजना प्राथमिक और द्वितीयक डेटा स्रोतों पर आधारित है। द्वितीयक डेटा स्रोतों में परियोजना जिले का गजेटियर या राजपत्र और जिला जनगणना विवरण 2011 शामिल हैं। सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई, जिसका गलियारे की चिन्हित चौड़ाई के भीतर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वे करने के लिए उपयोग किया गया।

यह पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपी पीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रतिपादित पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति के अनुसार तैयार की गई है और अनिच्छा से विस्थापित व्यक्तियों तथा मूल निवासियों के पुनर्स्थापन के लिए विश्व बैंक के संचालनगत निर्देशों (ओ.पी.) 4.30 तथा (ओ.पी.) 4.20 और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्वास नीति पर आधारित है। परियोजना से प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की दिशा में एक विकासोन्मुखी तरीका अपनाने के लिए आरएंडआर नीति का सिद्धांत मार्गदर्शक फलसफा है।

परियोजना मार्ग की लंबाई के दोनों ओर 15 मी. भूभाग को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक सामाजिक आकलन किया गया, जिसमें जंक्शन या चौराहों, पुलों आदि जैसी प्रस्तावित सुविधाओं को शामिल नहीं किया गया। इस खंड में भू उपयोग की ज्यादातर श्रेणियां हैं कृषि (प्रधान रूप से); स्थानीय निवासियों द्वारा संचालित आवासीय और सामान्य गतिविधियां। परियोजना सड़क की गरौठा-चिरगांव सड़क (एसएच-42) हमीरपुर-चिरगांव (झांसी) मार्ग का एक खंड है। संपूर्ण सड़क को नीचे लिखे अनुसार तीन पैकेजों में बांटा गया है :

- गरौठा-चिरगांव (झांसी), एसएच-42 के 118+600 कि.मी. से 167+540 कि.मी. (48.94 कि.मी.) तक गरौठा-चिरगांव खंड का उन्नयन और रखरखाव
- हमीरपुर-राठ सड़क, मौजूदा लंबाई 75.7 कि.मी. (2+000 कि.मी. से 77+720 कि.मी.)
- राठ-गरौठा, 35.0 कि.मी.। यह अनुपस्थित कड़ी है और ओडीआर/एमडीआर से होकर सड़क को मिलाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सड़क को दूसरे चरण (फेज II) में बोली के लिए लिया जाएगा।

0.5 अधिकृत रास्ता (राइट ऑफ वे) तथा प्रभाव का गलियारा (कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट)

मौजूदा सड़क के लिए राइट ऑफ वे या अधिकृत रास्ता राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक भूमि है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था पीडब्ल्यूडी द्वारा की जाती है। पीडब्ल्यूडी के नियंत्रण वाला राइट ऑफ वे वैध तरीके से अधिग्रहीत भू गलियारा है। इसकी औसत स्थापित चौड़ाई 30 मी. है। हालांकि राइट ऑफ वे की चौड़ाई 19 मी. से 44 मी. तक अलग-अलग है। इतना ही नहीं, राइट ऑफ वे बाधाओं से मुक्त भी नहीं है, जैसा कि स्ट्रिप मैप्स या पट्टी मानचित्रों से देखा जा सकेगा। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए आरएंडआर टीम ने कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर और नजदीक कानूनी राइट ऑफ वे की सीमाओं का और साथ ही निजी संपत्तियों की सीमाओं का भी सत्यापन किया है। विस्थापन की सीमा न केवल कानूनी राइट ऑफ वे तक बल्कि केवल कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट तक सीमित रहेगी। कॉरिडोर/प्रिज्म ऑफ इंपैक्ट वह गलियारा है जो परिवहन मार्ग, शोल्डर, पुश्तों और लंबवत नालियों सहित वास्तविक सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस गलियारे के भीतर कोई इमारतें या रुकावटें नहीं होनी चाहिए।

तालिका 0.1: मौजूदा आरओडब्ल्यू की उपलब्धता

क्र. सं.	कड़ियां (कि.मी.)		साजरा नक्शे के अनुसार आरओडब्ल्यू (मी. में)	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट	टिप्पणियां
	से	तक			
1	118+750	123+000	36	22.5	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा
2	123+000	129+450	36	22.5	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा
3	129+450	131+500	27	13	निर्मित क्षेत्र के कारण ढकी हुई नाली के साथ
4	131+500	140+000	32	23	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा
5	140+000	144+950	28	23	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा

क्र. सं.	कड़ियां (कि.मी.)		साजरा नक्शे के अनुसार आरओडब्ल्यू (मी. में)	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट	टिप्पणियां
	से	तक			
6	144+950	150+000	34	23	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा
7	150+000	158+000	23	23	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा
8	158+000	162+500	27	27	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा
9	162+500	166+850	22	22	परतहीन नाली के साथ सड़क का टुकड़ा
10	166+850	167+500	8	8	मौजूदा सड़क के अनुसार

0.6 पुनर्वास से जुड़े मुद्दे

शहरी/ग्रामीण इलाकों के लिए नियोजित बुनियादी ढांचे के सुधार मौजूदा राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के भीतर ही होंगे, सिवा कुछ भीड़भाड़ भरी बस्तियों और सघनता से बने निर्मित क्षेत्रों को और कुछ ऐसे स्थानों को छोड़कर, जहां सड़क सुरक्षा उपायों को जगह देने के लिए छोटे-मोटे सुधार करने की आवश्यकता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में सामाजिक छानबीन सर्वे किया गया और राइट ऑफ वे का राजस्व अभिलेखों के साथ सत्यापन किया गया। यह स्पष्ट था कि परियोजना सड़क के बहुतायत खंडों में सुविचारित डिजाइन मानकों को समायोजित/समाहित करने के लिए आरओडब्ल्यू काफी होगा। इसके अलावा यह भी चिन्हित किया गया कि आरओडब्ल्यू बाधाओं और रुकावटों से मुक्त नहीं है और खास तौर पर आबादियों और बाजारस्थलों के नजदीक कई स्थानों पर लोगों ने इसके ऊपर विभिन्न मकसदों से अतिक्रमण और कब्जा कर लिया है। इन परिणामों से निपटने और उबरने के लिए सामाजिक और पुनर्वास मुद्दों का प्रारंभिक अंदाजा हासिल करने की जरूरत है। जिन प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर विचार किया गया, वे निम्नानुसार हैं :

- आवासीय, व्यावसायिक और अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही इमारतों की हानि और आमदनी के स्रोतों पर असर पड़ने के कारण इन इमारतों से जुड़ी आजीविका की हानि;
- चारदिवारियों, हैंड पम्प, नल कूपों, कुओं, तालाबों आदि जैसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों की हानि;
- आरओडब्ल्यू को साफ करने की वजह से, खास तौर पर पटरी वाले छोटे दुकानदारों को हटाए जाने के कारण होने वाली आजीविका की हानि;
- साझा संपत्ति संसाधनों जैसे धर्मस्थलों, जल संसाधनों, ग्रामीण दरवाजों, सवारी आश्रयों आदि की हानि।

0.7 परियोजना मार्ग के दायरे में भू उपयोग

प्रस्तावित परियोजना सड़क ऐसी आबादियों से होकर गुजरती है, जिनमें कुछ स्थायी, अर्ध-स्थायी और अस्थायी इमारतें बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनमें निजी, सरकारी और सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इसका बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से कृषि भूमि है। हालांकि प्रस्तावित सड़क के साथ-साथ जो लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान्य तौर पर उनके पास उस जमीन का स्वत्वाधिकार है, लेकिनपरियोजना गतिविधियां लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले राइट ऑफ वे तक ही सीमित रहेंगी। इस जानकारी का इस्तेमाल एनटाइटलमेंट मैट्रिक्स और मिटिगेशन उपायों के डिजाइन में किया गया है। परियोजना सड़क के खंडों के साथ लगे साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) में धार्मिक इमारतें, समुदाय, जल संसाधन आदि शामिल हैं। हालांकि इस गलियारे विशेष में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं है, किंतु गैर-स्वत्वाधिकारधारक हैं, जो परियोजना की वजह से प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होंगे, इसलिए पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) तैयार की गई है। पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की सामाजिक-आर्थिक हालत का आकलन करना है, ताकि प्रभावों को कम से कम किया जा सके और मिटिगेशन उपाय अपनाए जा सकें। ये या तो कब्जाधारी या खोखा लगाने वाले (किओस्क मालिक) हैं, जो खाने की दुकान, तंबाकू विक्रेता, टी स्टॉल आदि जैसे छोटे-मोटे व्यवसायों में लगे अंत्यावसायी हैं।

0.8 सामाजिक प्रभाव आकलन

परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन परियोजना की तैयारी का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत

परियोजना केंद्रित आरएंडआर नीति और विश्व बैंक की नीति के तहत डिजाइन चरण के दौरान सामाजिक प्रभाव आकलन करना आवश्यक है, ताकि परियोजना के संभावित नकारात्मक प्रभावों से को टाला, घटाया और हल्का किया जा सके और सकारात्मक प्रभावों, स्थायित्व और विकासात्मक लाभों को बढ़ाया जा सके।

आकलन के परिणामों पर तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण के साथ पुनर्बहाल की जाने वाली सड़कों के अंतिम चयन में विचार किया जाता है। ये आकलन इंजीनियरिंग डिजाइन में भी योगदान देते हैं और इनके परिणामस्वरूप परियोजना के क्रियान्वयन को और सड़क सुधारों से विस्थापित हो सकने वाले लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास को अधिशासित करने वाली सामाजिक कार्य योजनाएं तैयार की जा पाती हैं।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करे और आरएपी के क्रियान्वयन के बाद किसी भी व्यक्ति को बदतर हालत में न छोड़ दिया जाए और प्रभावित लोगों की परियोजना के निर्माण और साथ ही संचालन दोनों के दौरान परियोजना के लाभों तक पहुंच हो। अध्ययन के ठीक-ठीक उद्देश्य हैं :

- परियोजना के हितधारकों और परियोजना से जुड़े सामाजिक मुद्दों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक/सांस्थानिक विश्लेषण करना;
- भूमि अधिग्रहण/ विनियोजन और अन्य हानियों के परिमाण का आकलन और संभावित परियोजना प्रभावित लोगों की जनगणना का कार्य हाथ में लेना;
- प्रभावित लोगों और परियोजना प्राधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा करके पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) विकसित करना;
- सड़क के डिजाइन में लैंगिक मुद्दों की पहचान करना और लैंगिक कार्य योजना विकसित करना;
- बाहरी मजदूरों के बड़ी संख्या में आने के फलस्वरूप एचआईवी/एड्स की संभावित घटना की पहचान करना और उनके घटने की संभावना को कम करने की रणनीति विकसित करना; और
- सहभागितापूर्ण योजना निर्माण के लिए और प्रस्तावित मिटिगेशन योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक परामर्श की रूपरेख विकसित करना।

परियोजना के सामाजिक प्रभावों और पुनर्स्थापन अवयव में परियोजना के सामाजिक प्रभावों को आकलन और आवश्यकतानुसार उपयुक्त मिटिगेशन योजनाएं बनाना शामिल है। इन योजनाओं को बनाते वक्त उपयुक्त राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और मार्गदर्शिकाओं तथा विश्व बैंक के नीति निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। सामाजिक आकलन का निष्पादन पर्यावरण आकलन टीम और डिजाइन टीम के साथ घनिष्ठ समन्वय करते हुए किया जाना चाहिए और इसमें परियोजना के हितधारकों, स्थानीय समुदायों और संभावित रूप से प्रभावित समूहों के साथ विचार-विमर्श तथा सहभागिता भी शामिल है। सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्स्थापन योजना निर्माण में नीचे लिखे तत्त्व हैं :

- परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के अंग के रूप में सामाजिक छानबीन और संविक्षा;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अंग के रूप में सामाजिक प्रभाव आकलन; संभावित रूप से प्रभावित आबादी की जनगणना और आधाररेखा सामाजिक-आर्थिक सर्वे;
- समयबद्ध पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) की तैयारी;
- परियोजना, जिला और राज्य स्तर पर विचार-विमर्श;
- फॉलो-अप विचार-विमर्श (ड्राइंग या चित्रांकनों को अंतिम रूप देने के बाद किया जाना है); और
- सभी मार्गों की वीडियोग्राफी और स्थिर फोटोग्राफी।

सामाजिक संविक्षा या छानबीन का कार्य परियोजना आरंभ रिपोर्ट अथवा प्रोजेक्ट इंसेप्शन रिपोर्ट और परियोजना में शामिल की जाने वाली सड़कों के चयन के साथ-साथ हाथ में लिया गया। इसने इंजीनियरिंग डिजाइन में महत्त्वपूर्ण आगत अथवा इनपुट और मार्गदर्शन प्रदान किए।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के भीतर संभावित रूप से प्रभावित आबादी की स्थिति, उनकी परिसंपत्तियों और आजीविका के स्रोतों को दर्ज और प्रमाणबद्ध करने के लिए 30 मी. गलियारे में (अक्टूबर 2014 से नवंबर 2014) एक पूर्ण जनगणना का कार्य हाथ में लिया गया। 30 मी. गलियारे में आधाररेखा डेटा इकट्ठा किया गया, ताकि अधिक चौड़े गलियारे के संबंध में जानकारी एकत्र की जा सके, क्योंकि इससे चौड़ा करने के विकल्पों में से चुनने के लिए ज्यादा लचीलेपन की गुंजाइश होती है। जनगणना का डेटा गैर-स्वत्वाधिकार धारकों के लिए कट-ऑफ तारीख तय करने का आधार प्रदान करता है, ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जो परियोजना से स्थान परिवर्तन के लिए सहायता और अन्य लाभों के हकदार हो सकते हैं।

जून, 2018 में संयुक्त साइट मीटिंग के दौरान एनजीओ कर्मचारियों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ अद्यतन के आधार पर आरएपी तैयार किया गया है। वर्तमान अद्यतन पुनर्वास रिपोर्ट में डेटा अपडेट किया गया है।

जनगणना के आधार पर सामाजिक-आर्थिक सर्वे भी किया गया। यह सर्वे एक आधाररेखा प्रदान करता है, जिसके बरअक्स मिटिगेशन उपायों और सहायता को मापा जाएगा और जिसमें लोगों की परिसंपत्तियों, आमदनियों, महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक या धार्मिक नेटवर्क या स्थल और साझा संपत्ति संसाधनों जैसे सहारे के अन्य स्रोतों की विशद तहकीकात शामिल है। नीचे दी गई **तालिका 0.2** 30 मी. जनगणना और कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के बीच प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 0.2: परियोजना का प्रभाव

30 मी.			कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (मी. में)		
पीएपी की संख्या	पीएएच की संख्या	पीएपी की संख्या	पीएएच की संख्या	पीएपी की संख्या	पीएएच की संख्या
1950	912	1154	391	80	189

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

प्रभावों के आगे के विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए केवल कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट पर विचार किया गया है। इसलिए नीचे दी गई सभी तालिकाएं कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के अनुरूप हैं।

तालिका 0.3: हानि के अनुसार परिवारों का वितरण

आवासीय	व्यावसायिक		आवासीय सह व्यावसायिक	अन्य	चारदिवारी	योग
	इमारतें	खोखे या किओस्क				
76	14	73	0	17	9	189

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका 0.3** से पता चलता है, प्रभाव व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ज्यादा है जो ज्यादातर निर्मित खंड़ों के मामलो में एकदम नजदीकी संपत्ति हैं।

0.9 कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट या प्रभाव का गलियारा

कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट औसतन 22 मी. है और यह 8 मी. से 2 मी. के बीच अलग-अलग है। चौड़ा करने के कार्यक्रम के बारे में डिजाइन दल के साथ चर्चा की गई और नीचे लिखी कड़ियों को ऊंचा उठाने के बारे में विचार किया गया : कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट 125+700 से 126+700,131+800 तक 131+950,132+150 तक 132+600,137+500 तक 137+800,144+320 तक 144+440,152+500 तक 152+800,153+040 तक 153+260, 154+400 तक 154+960, 155+520 तक 155+740,159+760 तक 159+980 and 161+500 तक 161+720 तक।

ऊंचा पुश्ता या एम्बैंकमेंट

कुछ स्थल हैं, जहां पुश्ता या एम्बैंकमेंट 6.0 मी. के दायरे तक ऊंचा है। पहला प्रमुख पुल के दोनों संपर्क मार्गों पर है और दूसरा 159+270 कि.मी. से 159+390 कि.मी. पर है। जिन स्थलों पर एम्बैंकमेंट की ऊंचाई 6.0 मी. से ज्यादा है, वे नीची **तालिका 0.4** में दिए गए हैं।

तालिका 0.4: ऊंचा पुश्ता या एम्बैंकमेंट > 6.0 मी.

कड़ी		लंबाई	किस तरफ
से (कि.मी.)	तक (कि.मी.)		
158+620	158+680	60	दोनों तरफ
159+270	159+390	120	बाईं (एलएचएस)
159+890	159+930	40	दाईं (आरएचएस)

उपलब्ध आरओडब्ल्यू 11 मी. से 40 मी. के दायरे में है। भूमि अधिग्रहण (एलए) से बचने के उद्देश्य से टो वॉल या ढलवां दीवार का प्रावधान किया गया है। ये वे स्थल हैं, जहां पुश्ता या एम्बैंकमेंट मौजूदा आरओडब्ल्यू के बाहर जा रहा है। आरओडब्ल्यू के भीतर क्रॉस-सेक्शन को समेटने के लिए अलग-अलग ऊंचाई की टो वॉल या ढलवां दीवारों का प्रस्ताव किया जाता है। टो वॉल के स्थल नीचे **तालिका 0.5** में दिए गए हैं।

तालिका 0.5: टो वॉल या ढलवा दीवार

से (कि.मी.)	तक (कि.मी.)	लंबाई (मी.)	ऊंचाई (मी.)	से (कि.मी.)	तक (कि.मी.)	लंबाई (मी.)	ऊंचाई (मी.)
बाएं				दाएं			
125+775	125+855	80	1.50	125+790	125+855	65	1.00
125+920	126+157	237	1.50	131+740	131+840	100	2.50
131+740	131+840	100	2.50	131+880	131+930	50	3.00
131+880	132+060	180	3.00	125+890	126+130	240	1.50
152+720	152+780	60	1.00	132+300	132+440	140	1.00
154+420	154+890	470	1.50	132+500	132+632	132	1.00
155+500	155+630	130	3.00	152+715	152+820	105	1.00
155+648	155+690	42	3.00	155+525	155+630	105	3.00
155+705	155+750	45	2.00	155+648	155+690	42	3.00
157+480	157+680	200	1.00	155+705	155+730	25	1.00
161+625	161+720	95	2.00	157+635	157+730	95	1.00
163+780	164+020	240	1.00	161+080	161+217	137	1.50
योग		**1879**		161+680	161+772	92	3.00
				163+810	164+070	260	1.00
				165+730	165+930	200	1.00
				योग		**1788**	

तालिका 0.6: गरौठा-चिरगांव खंड (एसएच-42) को चौड़ा करने का कार्यक्रम

क्र. सं.	डिजाइन कड़ी (कि.मी.)		लंबाई (कि.मी.)	क्रॉस-सेक्शन का प्रकार	टिप्पणी	पेवमेंट
	प्रारंभ	अंत				
1	118+600	125+700	7.100	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम और बीसी के साथ पुनर्निर्माण
2	125+700	126+200	0.500	1C	एचएफएल के कारण ऊंचा उठाना	
3	126+200	129+430	3.230	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
4	129+430	131+750	2.320	2	गुरसराय (नाली सह फुटपाथ)	
5	131+750	131+800	0.050	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
6	131+800	131+950	0.150	1C	कॉजवे या सेतुमार्ग पर ऊंचा उठाना	
7	131+950	132+150	0.200	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
8	132+150	132+600	0.450	1C	ऊंचा उठाना	
9	132+600	137+500	4.900	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
10	137+500	137+800	0.300	1C	ऊंचा उठाना	

क्र. सं.	डिजाइन कड़ी (कि.मी.)		लंबाई (कि.मी.)	क्रॉस-सेक्शन का प्रकार	टिप्पणी	पेवमेंट
	प्रारंभ	अंत				
11	137+800	144+320	6.520	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
12	144+320	144+440	0.120	1C	ऊंचा उठाना	
13	144+440	152+500	8.060	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
14	152+500	152+800	0.300	1C	एचएफएल के कारण ऊंचा उठाना	
15	152+800	153+040	0.240	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
16	153+040	153+260	0.220	1C	एचएफएल के कारण ऊंचा उठाना	
17	153+260	154+400	1.140	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
18	154+400	154+960	0.560	1C	एचएफएल के कारण ऊंचा उठाना	
19	154+960	155+520	0.560	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
20	155+520	155+740	0.220	1C	एचएफएल के कारण ऊंचा उठाना	
21	155+740	158+240	2.500	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
22	158+240	158+420	0.180	1B	मोड़ में सुधार	
23	158+420	159+300	0.880	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
24	159+300	159+380	0.080	1B	मोड़ में सुधार	
25	159+380	159+760	0.380	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
26	159+760	159+980	0.220	1C	एचएफएल के कारण ऊंचा उठाना	
27	159+980	160+150	0.170	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
28	160+150	160+600	0.450	2	रामनगर (नाली सह फुटपाथ)	
29	160+600	161+500	0.900	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
30	161+500	161+720	0.220	1C	ऊंचा उठाना	
31	161+720	165+200	3.480	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
32	165+200	165+750	0.550	2	सिया गांव (नाली सह फुटपाथ)	
33	165+750	166+930	1.180	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
34	166+930	167+000	0.070	3A	सुल्तानपुरा (लाइन ड्रेन)	
35	167+000	167+270	0.270	3B	सुल्तानपुरा (लाइन ड्रेन)	
36	167+270	167+400	0.130	3A	सुल्तानपुरा (लाइन ड्रेन)	
37	167+400	167+540	0.140	1A	ग्रामीण (पुनर्निर्माण)	
कुल लंबाई			**48.94**			

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2014

Note:-

1. *1A – ग्रामीण इलाकों में चौड़ा करना (पुनर्निर्माण खंड)*
2. *1B – नया निर्माण। सीध मिलाना या रिएलायनमेंट। बायपास*
3. *1C – ग्रामीण इलाकों में चौड़ा करना (ऊंचा उठाने की वजह से नया निर्माण)*
4. *2 – शहरी इलाकों में चौड़ा करना (पुनर्निर्माण खंड)*
5. *3A – अर्ध शहरी इलाकों में चौड़ा करना (पुनर्निर्माण खंड)*
6. *3B – अर्ध शहरी इलाकों में चौड़ा करना (पुनर्निर्माण खंड)*

तालिका 0.7: हानि के प्रकार के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण

आवासीय	व्यावसायिक		आवासीय सह व्यावसायिक	अन्य	चारदिवारी	योग
	संरचनाएं	खोखे या किओस्क				
26	6	36	0	9	3	80
33%	8%	45%	0%	10%	4%	100%

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका 0.7** से पता चलता है, प्रभाव अस्थायी खोखों या किओस्क सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ज्यादा है। कुल परियोजना प्रभावित घर-परिवारों में से 53% व्यावसायिक हैं; 33% आवासीय हैं और चारदिवारी सहित अन्य केवल 14% हैं।

आरएपी तैयार करने का काम परियोजना के सामाजिक आकलन अवयव के भीतर ही हाथ में लिया गया। आरएपी की एक प्रमुख पूर्व आवश्यकता यह है कि एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा होनी चाहिए जिसमें प्रभावों की श्रेणियां और उसके अनुरूप उनकी पात्रताएं और अधिकार स्पष्ट हों। परियोजना केंद्रित आर एंड आर नीति तैयार की गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 19 अगस्त 2014 के पत्र संख्या 1195(1)/23-12-14 के माध्यम से उस पर अपनी सहमति प्रदान की। आरएपी प्रभाव श्रेणियों के अनुसार प्रभावित घर-परिवारों और परिवारों की संख्या प्रदान करती है और साथ ही विस्तृत मार्गदर्शन भी प्रदान करती है कि नीति रूपरेखा के प्रावधानों को किस प्रकार लागू किया जाए। इनमें सांस्थानिक व्यवस्थाएं और बजट भी शामिल हैं, जो परियोजना प्रभावित लोगों की गिनती और रूपरेखा के तहत पात्रता पर आधारित हैं।

इस आरपीए को तैयार करने के लिए किए गए विस्तृत अध्ययननों से सड़क किनारे के इलाकों में व्यापक दखल और कब्जे का पता चलता है, जिनमें सघन बसे हुए गांव और शहरी समुदाय शामिल हैं और जहां बड़े पैमाने पर आवासीय और व्यावसायिक इमारतें, व्यवसाय और जन सुविधाएं बनी हुई हैं। सड़क को चौड़ा करने तथा अन्य प्रस्तावित सुधारों का प्रभाव सड़क किनारे के आवासों, व्यवसायों, धर्म स्थलों तथा इमारतों, कृषि भूमि या खेतों, सार्वजनिक इमारतों और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।

पुनर्स्थापन की जरूरत केवल वहां पड़ेगी, जहां आवासीय और आवासीय/व्यावसायिक इमारतों को या तो पूरी तरह गिराना ही होगा या उन्हें इस तरह लेना होगा जिससे वे रहने के लिए अयोग्य या अनुपयोगी हो जाएंगी। इन इमारतों से विस्थापित हुए निवासियों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रभावित व्यवसायों और अन्य सार्वजनिक तथा धार्मिक भवनों और संरचनाओं को दूसरे स्थानों पर बसाना जाएगा। पुनर्वास की आवश्यकता वहां होगी, जहां पुनर्स्थापन, स्थान परिवर्तन या परियोजना के अन्य प्रभावों के परिणामस्वरूप आजीविका या आमदनी की हानि होती है। इन मामलों में प्रभावित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को कम से कम परियोजना-पूर्व स्तरों तक बहाल करना जरूरी होगा।

ज्यादातर मामलों में परियोजना के लिए न तो पूरी तरह गिराने की जरूरत होगी और न ही आवासीय या व्यावसायिक संरचनाओं को इस हद तक लेने की जरूरत होगी कि जिससे पुनर्स्थापन या स्थान परिवर्तन आवश्यक हो जाए। सामान्य तौर पर केवल कई मीटर या उससे कम की एक संकरी अग्रभाग की पट्टी प्रभावित होगी। प्रायः इसका अर्थ यह है कि केवल अहाते की दीवार या बाड़ों, प्रांगण को ही अनिवार्यतः हटाना पड़ेगा। कुछ मामलों में सड़क किनारे के आशियानों और व्यवसायों के छोटे-से हिस्सों को ही लिया जाएगा। केवल बहुत दुर्लभ तौर पर ही पूरे के पूरे आवासीय या व्यावसायिक भवनों को लेने की जरूरत पड़ेगी। खोखों या किओस्क को सीओआई से बाहर ले जाना पड़ेगा, हालांकि वे आरओडब्ल्यू के भीतर बने रह सकते हैं। इस गलियारे के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) 8 मी. से 46 मी. के बीच है। सड़क की डिजाइन चौड़ाई 20 मी. से ज्यादा नहीं होगी और यह उपलब्ध आरओडब्ल्यू के पूर्णतः भीतर ही होगी। इसलिए गरौठा-चिरगांव सड़क में कोई भी भूमि अधिग्रहण परिकल्पित नहीं है।

0.10 कट ऑफ तारीख

जनगणना सर्वे के पूरा होने की तारीख को कट-ऑफ तारीख माना जाएगा और इसलिए जनगणना के दौरान जिन लोगों का सर्वे नहीं किया गया है, उन्हें पीएपी नहीं माना जाएगा। कट-ऑफ तारीख का उपयोग यह स्थापित करने के लिए किया जाएगा कि गलियारे में अवस्थित एक व्यक्ति परियोजना के विभिन्न चरणों के क्रियान्वयन के दौरान पीएपी होने का पात्र है या नहीं। हालांकि एक व्यक्ति, जो जनगणना के दौरान नहीं गिना गया है, लेकिन जनगणना सर्वे के दौरान परियोजना गलियारे में अपना रहना साबित करने में सक्षम है, तो उसे हकदार माना जाएगा। जनगणना सर्वे की अवधि नीचे दी गई है :

तालिका 0.8 : कट ऑफ तारीख

मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	प्रारंभ माह	समापन माह
एसएच- 42	हमीरपुर-राठ-गुरसहायगंज-झांसी सड़क (खंड गरौठा-चिरगांव 118+000 कि.मी. से 167+500 कि.मी.)	मई 2018	जून 2018

तालिका 0.9: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण

स्वामित्व की स्थिति				
कब्जाधारी	अतिक्रमणकारी	खोख या किओस्क	किरायेदार	योग
16(20%)	28 (35%)	36 (45%)	0 (0%)	80 (100%)

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

स्वामित्व की स्थिति दर्शाती है कि 20% कब्जाधारी है। कब्जाधारियों के अलावा, 45% खोखों या किओस्क के मालिक हैं और अतिक्रमणकारी 35% हैं। परियोजना की आरएंडआर नीति के अनुसार, कमजोर अतिक्रमणकारियों को संरचना की हानि के एवज में विस्थापन लागतों पर नकद सहायता दी जाएगी; गुजारा भत्ते की तौर पर एकमुश्त 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता; स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर प्रति परिवार स्थायी संरचना के लिए 50,000 रुपये, अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 30,000 रुपये और अस्थायी संरचना के लिए 10,000 रुपये एकमुश्त आर्थिक सहायता; और प्रत्येक ऐसे प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, कामचलाऊ शेड या दुकान बनाने के लिए 25,000 रुपये की सहायता। किओस्क या खोखों के मामले में एकमुश्त नकद सहायता की तौर पर केवल 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

तालिका 0.10: श्रेणी के अनुसार सामुदायिक संपत्तियों का वितरण

मंदिर/ धर्मस्थल/चबूतरा	मस्जिद	कुएं	चारदीवारी	अन्य	योग
2	0	1	1	0	4

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है, कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर कुल 4 सामुदायिक संपत्तियां हैं, जिनमें से 1 कुएं , 1चारदीवारी हैं और 2 सांस्कृतिक संपत्तियां हैं।

0.11 जनगणना और आधाररेखा सामाजिक-आर्थिक डेटा का विश्लेषण

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की जनगणना के साथ ही एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वे किया गया, ताकि प्रभावित परियोजना क्षेत्र की प्रोफाइल और एक आधाररेखा तैयार की जा सके, जिसके विरुद्ध मिटिगेशन उपायों और सहायता को मापा जाएगा। इस मकसद से लोगों की परिसंपत्तियों, आमदनी, सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसंख्यात्मक संकेतकों, धार्मिक संरचनाओं तथा साझा संपत्ति स्रोतों जैसे अन्य सहायता स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारियां एकत्र की गईं। इस विश्लेषण में घर-परिवारों के आंतरिक विश्लेषण और लैंगिक विश्लेषण सहित विभिन्न समूहों और व्यक्तियों की जरूरतों और संसाधनों को शामिल किया गया। यह विश्लेषण परियोजना में निर्दिष्ट पात्रता के लिए कट-ऑफ तारीख पर आधारित है (गैर-स्वत्वाधिकार धारक के लिए कट-ऑफ तारीख जनगणना की प्रारंभ तारीख है)।

तालिका 0.11: प्रभावित और विस्थापित परिवारों का वितरण

पीएपी की संख्या	पीएएच की संख्या	पीएएफ की संख्या	पीडीएफ की संख्या
391	80	189	102

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, प्रस्तावित सड़क उन्नयन की वजह से कुल 80 घर-परिवार (189 परिवार) प्रभावित होंगे, जिनके नतीजतन 391 व्यक्तियों पर असर पड़ेगा।

तालिका 0.12: प्रभाव के प्रकार के अनुसार पीएएफ और पीडीएफ का वितरण

प्रभाव का प्रका	हानि का प्रकार						
	आवासीय	व्यावसायिक	खोखे	आवा.+व्यावसा.	अन्य	चा. दि.	योग
विस्थापित	18	11	73	0	0	0	102
पीएएफ	76	14	73	0	17	9	189

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

अनुमानित रूप से कुल प्रभावित परिवारों में 54% या तो आवासीय संपत्ति या फिर व्यावसायिक संपत्ति/खोखों की हानि की वजह से विस्थापित होंगे। ये केवल कब्जाधारी और खोखे ही हैं जो विस्थापित होंगे।

तालिका 0.13: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट की जनसांख्यिकी

Demographic/Social															
लैंगिक प्रकार के अनुसार पीएपी का वितरण			परिवार के प्रकार के अनुसार परिवारों का वितरण				धार्मिक समूहों के अनुसार परिवारों का वितरण				सामाजिक स्तरीकरण के अनुसार पीएपी का वितरण				
पुरुष	महिला	योग	एकल	संयुक्त	विस्तारित	योग	हिंदू	मुस्लिम	अन्य	योग	एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	योग
219	172	391	122	48	19	189	180	9	0	189	121	0	145	125	391
56%	44%	100%	65%	25%	10%	100%	95%	5%	0%	100%	31%	0%	37%	32%	100%

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2014

तालिका 0.14: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में सामाजिक विशेषताएं

वैवाहिक स्थिति के अनुसार पीएपी का वितरण							आयु समूह के अनुसार पीएपी का वितरण						
विवाहित	अविवाहित	तलाकशुदा	अलग हुए	विधवा	योग	0 से 6 साल	7 से 15 साल	16-18	19-21	22-35	36–58	59 और अधिक	योग
231	152	0	0	8	391	44	51	28	32	110	90	36	391
59%	39%	0	0%	2%	100%	11%	13%	7%	8%	28%	23%	9%	100%

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जनगणना सर्वे के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की लैंगिक पहचान भी दर्ज की गई क्योंकि इससे आरएंडआर नीति के अनुसार परिवार की तथा वध्य या कमजोर श्रेणी की पहचान करने में मदद मिलती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका 0.13 से पता चलता है, लगभग 56 फीसदी पीएपी पुरुष और 44 फीसदी महिला हैं। बहुतायत परिवार (65 प्रतिशत) एकल स्वरूप के हैं। करीब 95 फीसदी पीएपी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। जाति विन्यास से पता चलता है कि 37 फीसदी पीएपी अन्य पिछड़ी जातियों के हैं और 32 फीसदी सामान्य या सवर्ण जातियों से आते हैं। कुल प्रभावित परिवारों के 31 फीसदी अनुसूचित जाति परिवार हैं।

उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परियोजना की आरएंडआर नीति के अनुसार प्रभावित परिवारों की पहचान स्थापित करने के लिए पीएपी की और ज्यादा खास तौर पर महिला पीएपी की वैवाहिक स्थिति दर्ज की गई। सर्वे के परिणामों के मुताबिक अविवाहित पीएपी की संख्या विवाहित पीएपी से ज्यादा है। तलाकशुदा, अलग हुए, विधवा और परित्यक्त व्यक्तियों के डेटा का खास तौर पर विश्लेषण किया गया, क्योंकि आरएंडआर नीति के अनुसार ये सभी अलग हुए परिवारों के व्यक्ति हैं और इन नाते आरएंडआर सहायता के हकदार हैं। पीएपी की वैवाहिक स्थिति दर्शाती है कि 59 फीसदी विवाहित हैं। करीब 2

फीसदी पीएपी विधवा हैं और अलग हो चुका या तलाकशुदा कोई भी नहीं पाया गया।

आयु समूह वर्गीकरण : आरएंडआर नीति के अनुसार, 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुरुष/महिलाएं, उनकी वैवाहिक स्थिति जो भी हो, पृथक परिवार आयु समूह वर्गीकरण में माने जाएंगे। इससे भी आश्रित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आबादी के आकलन में मदद मिलती है।

जैसा कि आयु वर्ग की तालिका से पता चलता है, करीब तीन चौथाई आबादी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आयु समूह 19 से 58 साल के भीतर आती है। लगभग 11 फीसदी जनसंख्या स्कूल जाने की उम्र के तहत आती है और केवल 9 प्रतिशत 59 साल से ऊपर के आयु समूह में हैं।

तालिका 0.15: साक्षरता स्तर के अनुसार पीएपी का वितरण

साक्षरता स्तर के अनुसार पीएपी का वितरण								
साक्षर	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	सेकेंडरी	इंटरमीडिएट	स्नातक	तकनीकी	अन्य	योग
113	66	86	52	27	31	4	12	391
29%	17%	22%	13%	7%	8%	1%	3%	100%

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

साक्षरता स्तर किसी भी क्षेत्र/भूभाग के विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए एक ऐसा संकेतक है, जिसका परिमाण निर्धारित किया जा सकता है। जितनी अधिक साक्षरता की दर होगी, उतना ही अधिक विकसित वह इलाका होगा। दूसरे, लोगों को विस्थापित करने वाली एक विकास परियोजना में पीएपी के साक्षरता स्तर के डेटा से वैकल्पिक आमदनी बहाल करने की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनगणना सर्वे के दौरान पीएपी का साक्षरता स्तर दर्ज किया गया था।

साक्षरता स्तर दर्ज करने के लिए शिक्षा के पूर्ण किए गए वर्षों को लिया गया। उदाहरण के लिए, एक उत्तरदाता जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, उसे मध्यम साक्षर माना गया। इसी प्रकार जो उत्तरदाता 12वीं कक्षा के स्तर को उत्तीर्ण करने में नाकाम रहा, उसे सेकेंडरी साक्षर माना गया। हालांकि वे लोग जो स्कूल तो गए लेकिन 5वीं कक्षा का स्तर भी उत्तीर्ण नहीं कर सके, उन्हें प्राथमिक स्तर का ही साक्षर माना गया। पीएपी की साक्षरता दर काफी ऊंची है। करीब 29 फीसदी पीएपी निरक्षर पाए गए। यहां तक कि साक्षर पीएपी में भी 17 फीसदी पीएपी प्राथमिक स्तर तक साक्षर हैं। कुल आबादी के केवल 8 प्रतिशत पीएपी स्नातक और उससे ऊपर तक पढ़े हैं। 1 फीसदी के आसपास पीएपी ने किसी न किसी प्रकार की तकनीकी साक्षरता हासिल की है।

तालिका 0.16: हानि के प्रकार के अनुसार परिवारों का वितरण

आवासीय	व्यावसायिक		आवासीय सह व्यावसायिक	अन्य	चारदीवारी	योग
	संरचनाएं	खोखे				
76 (40%)	14 (7%)	73 (39)	0 (0%)	17(9%)	9 (5%)	189

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2014

जैसा कि ऊपर की **तालिका 0.16** से पता चलता है, प्रभाव उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ज्यादा है, जो ज्यादातर मामलों में निर्मित खंडों में निकटतम संपत्ति हैं। कुल 189 प्रभावित परिवारों में से करीब 40 फीसदी आवासीय और केवल 7 फीसदी व्यावसायिक हैं, जबकि 39 फीसदी खोखे या किओस्क से हैं। अन्य 1 प्रतिशत परिवार आवासीय सह व्यावसायिक संरचनाओं की हानि के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रभावित व्यावसायिक संरचनाओं में 73 किओस्क या खोखे उन लोगों के हैं जो विस्थापित होंगे।

तालिका 0.17: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में घर-परिवारों का वध्यता स्तर

घर-परिवारों का वध्यता स्तर			
जाति	बीपीएल	डब्ल्यूएचएच	योग
44	0	8	52

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

तालिका 0.18: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण

स्वामित्व की स्थिति				
कब्जाधारी	अतिक्रमणकारी	खोख या किओस्क	किरायेदार	योग
16(20%)	28 (35%)	36 (45%)	0 (0%)	80 (100%)

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

सर्वे के परिणाम बताते हैं कि 66 परिवारों में से 53 कमजोर या वध्य हैं। कमजोर परिवारों में 80 फीसदी सामाजिक रूप से वध्य या कमजोर हैं और शेष 20 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। स्वामित्व की स्थिति से पता चलता है कि 20 फीसदी से ज्यादा कब्जाधारी हैं। कब्जाधारियों के अलावा, 45 फीसदी खोखे या किओस्क के मालिक हैं और 35 फीसदी अतिक्रमणकारी हैं।

परियोजना की आरएंडआर नीति के अनुसार, कमजोर अतिक्रमणकारियों को संरचना की हानि के एवज में विस्थापन लागतों पर नकद सहायता दी जाएगी; गुजारा भत्ते की तौर पर एकमुश्त 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता; स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर प्रति परिवार स्थायी संरचना के लिए 50,000 रुपये, अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 30,000 रुपये और अस्थायी संरचना के लिए 10,000 रुपये एकमुश्त आर्थिक सहायता; और प्रत्येक ऐसे प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, कामचलाऊ शेड या दुकान बनाने के लिए 25,000 रुपये की सहायता। किओस्क या खोखों के मामले में एकमुश्त नकद सहायता की तौर पर केवल 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

0.12 साक्षरता स्तर

साक्षरता स्तर किसी भी क्षेत्र/भूभाग के विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए एक ऐसा संकेतक है, जिसका परिमाण निर्धारित किया जा सकता है। जितनी अधिक साक्षरता की दर होगी, उतना ही अधिक विकसित वह इलाका होगा। दूसरे, लोगों को विस्थापित करने वाली एक विकास परियोजना में पीएपी के साक्षरता स्तर के डेटा से वैकल्पिक आमदनी बहाल करने की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनगणना सर्वे के दौरान पीएपी का साक्षरता स्तर दर्ज किया गया था।

साक्षरता स्तर दर्ज करने के लिए शिक्षा के पूर्ण किए गए वर्षों को लिया गया। उदाहरण के लिए, एक उत्तरदाता जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, उसे मध्यम साक्षर माना गया। इसी प्रकार जो उत्तरदाता 12वीं कक्षा के स्तर को उत्तीर्ण करने में नाकाम रहा, उसे सेकेंडरी साक्षर माना गया। हालांकि वे लोग जो स्कूल तो गए लेकिन 5वीं कक्षा का स्तर भी उत्तीर्ण नहीं कर सके, उन्हें प्राथमिक स्तर का ही साक्षर माना गया।

0.13 प्रभावित परिवारों का संसाधन आधार

नीचे प्रस्तुत जानकारी दोनों जनगणनाओं और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वे के नमूने के माध्य से इकट्ठा की गई है। सर्वे के दौरान जिन आर्थिक संकेतकों पर विचार किया गया, वे थे सामान्य गतिविधि, पेशेगत पैटर्न, घर-परिवार की औसत आय और व्यय, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या, परिसंपत्ति का धारण आदि।

तालिका 0.19: संसाधन आधार

परिवारों का सूची में नाम लिखना		परिवारों के स्वामित्व वाली सुविधाएं	
राशन कार्ड धारी परिवारों की संख्या	168	बिजली सुविधा प्राप्त परिवारों की संख्या	83
मतदाता पहचान पत्र धारी परिवारों का संख्या	156	बिजली सुविधा प्राप्त दुकानों की संख्या	43
कानूनी दस्तावेजों से लैस परिवार	36	नल के कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या	0
		नल के कनेक्शन वाली दुकानों की संख्या	0

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर की तालिका दर्शाती है, 189 परिवारों में से 136 के पास राशन कार्ड है और 36 घर-परिवारों के पास संपत्ति के कानूनी दस्तावेज भी हैं। 189 में से आधे से भी कम पीएपी (88 प्रतिशत) मतदाता पहचान पत्र धारक हैं। तकरीबन 23 फीसदी से ज्यादा परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन है, जबकि महज किसी भी परिवार के पास नल का कनेक्शन नहीं है। हालांकि करीब किसी भी दुकान पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, न ही किसी दुकान में नल का कनेक्शन है।

तालिका 0.20: संरचनाओं की निर्माण टाइपोलॉजी

स्थायी	अर्ध-स्थायी	अस्थायी	योग
20	12	48	80

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर की तालिका दर्शाती है, प्रभावित संरचनाओं में से बहुतायत संरचनाओं (करीब 60 प्रतिशत) की निर्माण टाइपोलॉजी अस्थायी है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर सड़क किनारे लगाई गए या तो किओस्क या खोखे हैं या छोटी खाने-पीने की दुकानें।

0.14 सामान्य गतिविधि

सामान्य गतिविधि दर्ज करना बेहद जरूरी है ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि पीएपी को लाभदायक ढंग से रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं। पीएपी जिस गतिविधि में संलग्न है, उसको ध्यान में रखकर आय उत्पत्ति की वैकल्पिक योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इसी के अनुसार उस गतिविधि को, जिसमें एक व्यक्ति दिन में 8 या उससे अधिक घंटे बिताता है, उस उत्तरदाता की सामान्य गतिविधि माना गया है। ऐसी गतिविधियां प्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक रूप से लाभदायक हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसी के अनुसार पीएपी को 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसा कि भारत की जनगणना में परिभाषित किया गया है।

जैसा कि तालिका 0.21 दर्शाती है, कुल पीएपी के एक चौथाई किसी न किसी प्रकार की आर्थिक रूप से लाभदायक गतिविधि में लगे हुए हैं और इसलिए कामगार की श्रेणी में आते हैं। ग्रामीण इलाकों में आम तौर पर किसी न किसी प्रकार की आर्थिक रूप से लाभदायक गतिविधियां हमेशा उपलब्ध हो ही जाती हैं, जो या तो खेती-किसानी में होती हैं या सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत गैर-खेतिहर श्रमिक गतिविधियां होती हैं। इसके बाद भी पीएपी का एक छोटा-सा प्रतिशत जानकारी के मुताबिक गैर-कामगार या बेरोजगार हैं। इसलिए आएपी के क्रियान्वयन चरण के दौरान पीएपी के ऐसे तबकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। कुल पीएपी के पांचवें हिस्से से ज्यादा लोग जानकारी के मुताबिक घर-परिवार के कामों में लगे हुए हैं और ऐसे पीएपी प्राथमिक तौर पर महिलाएं हैं। महिला पीएपी द्वारा निष्पादित की जा रही घर-परिवार की गतिविधियों के बारे में विवरण कमजोर या वध्य समूहों पर अध्याय ग्यारह में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 0.21: सामान्य गतिविधि

पेशा या व्यवसाय							
श्रमिक	गैर श्रमिक	मुख्य श्रमिक	प्रवासी श्रमिक	घरेलू श्रमिक	विद्यार्थी	गैर-स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे (0 से 5 साल)	अन्य
108	18	29	17	89	86	33	11

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

0.15 पेशेगत पैटर्न

पीएपी के पेशेगत पैटर्न उनके कौशल या हुनर का आकलन करने के लिए दर्ज किए जाते हैं, ताकि उन्हें आय उत्पत्ति की वैकल्पिक योजना के लिए उसी पेशे का प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा सके। दूसरे, पेशेगत पैटर्न उस इलाके की प्रधान आर्थिक गतिविधि की पहचान करने में मदद करता है।

जैसा कि सर्वे के परिणामों से पता चलता है, सड़क के साथ-साथ उसके किनारे बसे पीएपी में सबसे आम पेशा व्यापार और व्यवसाय (प्राथमिक तौर पर छोटी-मोटी दुकानें) है। करीब 49 फीसदी पीएपी व्यापार और व्यवसाय में लगे हुए हैं और उनके बाद गैर खेतिहर मजदूर और कृषिकर्मी आते हैं।

0.16 घर-परिवारों का औसत वार्षिक आय और व्यय

तालिका 0.22: आय के स्तर के अनुसार घर-परिवारों का वितरण

1000 - 5000	5001 - 10000	10001 - 15000	15001 - 20000	Total
52	18	6	4	**80**

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

सालाना आय से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने में मदद मिलती है। सर्वे के दौरान एक घर-परिवार की सभी संभव स्रोतों से आय दर्ज की गई। इसके अनुसार, जैसा कि ऊपर की तालिका दर्शाती है, घर-परिवार की औसत मासिक आमदनी 5133 रुपये है। घर-परिवार की आय की गणना करने के लिए सर्वे के दौरान आय के विभिन्न स्रोत पूछे गए, जिनमें शामिल हैं कृषि; संबद्ध कृषि गतिविधियां; खेतिहर मजदूरी; गैर-खेतिहर मजदूरी; घर-परिवार के उद्यम; सेवाएं; व्यापार और व्यवसाय; पेशा आदि। इन स्रोतों से होने वाली आमदनी को जोड़ा गया और भारित औसत निकाला गया ताकि औसत वार्षिक आय का आंकड़ा प्राप्त किया जा सके।

तालिका 0.23: आय के प्राथमिक स्रोत के अनुसार घर-परिवारों का वितरण

स्रोत	एचएच की संख्या	योग का %
खेती किसानी	9	9
छोटे-मोटे व्यापार और व्यवसाय	44	44
खेतिहर मजदूरी	11	11
गैर-खेतिहर मजदूरी	8	8
दिहाड़ी मजदूर	3	2
वेतनभोगी	5	5
योग	**80**	**100**

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

औसत मासिक व्यय 4826 रुपये है। यह आमदनी से थोड़ा-सा कम है और यह भी एक कारण है कि पीएपी के पास कुछ किस्म की बचत हैं। सर्वे के दौरान खर्च या व्यय की विभिन्न मदों के बारे में पूछा गया, जिनमें शामिल हैं खाना; कपड़े; स्वास्थ्य; शिक्षा; संचार; सामाजिक समारोह आदि। आमदनी की तरह प्रति परिवार औसत व्यय की गणना करने के लिए प्रत्येक मद में किए गए खर्चों को जोड़ा गया और उनके भारित औसत के आधार पर औसत वार्षिक परिव्यय निकाला गया।

0.17 परियोजना केंद्रित पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति

यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार के परवर्ती आदेशों और अनिच्छुक पुनर्स्थापन पर विश्व बैंक की संचालनगत नीति 4.12 के अधीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर रोड नेटवर्क में सुधार की योजनाएं बनाई हैं। इनका लक्ष्य और उद्देश्य राज्य के सड़क यातायात नेटवर्क को उन्नत और सुदृढ़ बनाना है।

सड़क उन्नयन के सकारात्मक पहलुओं के अलावा परियोजना की वजह से इमारतों या संरचनाओं (कब्जाधारी और अतिक्रमणकारी), अन्य अचल संपत्तियों और आजीविका के विभिन्न स्रोतों की हानि हो सकती है। हालांकि इस गलियारे विशेष में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं है, लेकिन गैर-स्वत्वाधिकारधारक हैं, जो परियोजना की वजह से प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होंगे। यह दस्तावेज परियोजना की वजह से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को न्यूनतम करने और उनकी गंभीरता का शमन करने के लिए अपनाए और अनुपालन किए जाने वाले सिद्धांतों और तरीकों का वर्णन करता है, ताकि प्रभावित हुए लोग अपना जीवन स्तर बहाल और बेहतर बनाने में समर्थ हो सकें।

क्र.सं.	विनियोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
A. निजी कृषि भूमि, वास भूमि और व्यावसायिक भूमि की हानि				
1	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर की भूमि	स्वत्वाधिकार धारी परिवार, और पारंपरिक भूमि अधिकार वाले परिवार	बाजार मूल्य पर मुआवजा, पुनर्स्थापन और पुनर्वास	a) जमीन के बदले जमीन यदि उपलब्ध हो। या जमीन के लिए बाजार मूल्य पर नकद मुआवजा, जो आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। b) यदि जमीन आवंटित की जाती है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगी। c) यदि अधिग्रहण के बाद बची हुई अवशेष जमीन आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है, तो जमीन मालिक के पास विकल्प होगा कि वह उस बची हुई जमीन को या तो रखे या बेच दे। d) स्थानापन्न या एवजी जमीन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनवापसी परियोजना द्वारा की जाएगी; परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक साल के भीतर स्थानापन्न जमीन अवश्य खरीद ली जानी चाहिए। e) एकमुश्त आर्थिक सहायता की तौर पर 36,000 रुपये का गुजारा भत्ता। f) 5,00,000 रुपये की एकमुश्त सहायता या वार्षिक भत्ता (एन्युइटी)। g) फसलों की हानि यदि हो तो उसके लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा।
B. निजी संरचनाओं (आवासीय/व्यावसायिक) की हानि				
2	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर की संरचनाएं	स्वत्वाधिकार धारक/स्वामी	बाजार मूल्य पर मुआवजा, पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) इमारत के लिए बाजार मूल्य पर नकद मुआवजा जो आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 के अनुसार निर्धारित होगा। ग्रामीण इलाके में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान या उसके एवज में 50,000 रुपये और शहरी इलाके में आरएव्हाय के तहत मकान या उसके एवज में 1,00,000 रुपये। मकान यदि आवंटित किया जाता है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। b) ढहाई गई इमारत से सामग्री बचाने का अधिकार। c) इमारत खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस। d) बाजार मूल्य की प्रचलित दरों पर नए वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्कों की धन-वापसी, जैसा कि उपरोक्त (a) में निर्धारित किया गया है। वैकल्पिक मकान/दुकान मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर अवश्य खरीद लिए जाने चाहिए। e) यदि इमारत आंशिक रूप से प्रभावित हुई है और बची हुई इमारत व्यवहार्य बनी रहती है, तो ऐसे मामले में इमारत की बहाली के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत। यदि इमारत आंशिक रूप से प्रभावित हुई है और बची हुई इमारत अव्यवहार्य हो जाती है तो ऐसे मामले में मुआवजे की धनराशि का अतिरिक्त 25 प्रतिशत पृथक्करण भत्ते की तौर पर। f) एकमुश्त आर्थिक सहायता की तौर पर 36,000 रुपये के समतुल्य धनराशि का गुजारा भत्ता। G) विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर 50,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी। h) प्रत्येक प्रभावित परिवार को, जो विस्थापित हुआ है और जिसके पास पशु हैं, पशु शेड का निर्माण करवाने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक

क्र.सं.	विनियोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				सहायता मिलेगी। i) पुनर्स्थापन सहायता की तौर पर 50,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान। j) प्रत्येक व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हुआ है (इस परियोजना में किसी भी आवासीय-सह-व्यावसायिक इमारत का मालिक), कामकाजी शेड या दुकान बनवाने के लिए 25,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी। j) 5,00,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान।
3	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर की संरचनाएं	किरायेदार/लीज धारक	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) पंजीकृत पट्टाधारक लागू होने वाले स्थानीय कानूनों के अनुसार इमारत के मालिक को देय मुआवजे में एक अंश विभाजन के अधिकारी होंगे। b) किरायेदार के मामले में तबादला या स्थान परिवर्तन भत्ते के लिए 50,000 रुपये के साथ-साथ तीन महीने का लिखित नोटिस दिया जाएगा।
C. पेड़ों और फसलों की हानि				
4	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर खड़े हुए पेड़ और फसलें	मालिक और लाभान्वित (पंजीकृत/अपंजीकृत) किरायेदार, ठेका किसान, लीज धारक और बंटाईदार	बाजार मूल्य पर मुआवजा	a) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को फल, खड़ी हुई फसलों की कटाई, पेड़ हटाने के लिए तीन महीने का अग्रिम नोटिस। b) मुआवजे का भुगतान निम्न द्वारा आकलित दर से किया जाएगा: i) इमारती लकड़ी वाले पेड़ों के लिए वन विभाग ii) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग iii) फल/फूल से लदे पेड़ों के लिए बागवानी विभाग c) पंजीकृत किरायेदार, ठेका किसान और पट्टाधारक और बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच हस्ताक्षरित समझौता दस्तावेज के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे का अधिकारी होंगे। d) अपंजीकृत किरायेदार, ठेका किसान, पट्टेधारक और बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच आपसी सहमति के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के अधिकारी होंगे।
D. गैर-स्वत्वाधिकार धारकों को आवासीय/व्यावसायिक इमारतों की हानि				
5	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर या सरकारी जमीन पर बनी इमारतें	परियोजना जनगणना सर्वे के अनुसार चिन्हित किए गए इमारतों के मालिक या इमारतों के निवासी	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) गैर कमजोर अतिक्रमणकारियों को कब्जाई हुई जमीन खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। b) कमजोर अतिक्रमणकारियों को इमारत की हानि के लिए प्रतिस्थापन कीमत पर नकद सहायता दी जाएगी, जैसा कि आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 में वर्णित है। c) किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, जो गैर-कमजोर के रूप में चिन्हित है लेकिन इस्तेमाल की जा रही इमारत का 25 फीसदी से ज्यादा गंवा रहा है, इमारतों की हानि के लिए विस्थापन कीमत पर नकद सहायता का भुगतान किया जाएगा। धनराशि का निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 के अनुसार किया जाएगा। d) सभी कब्जाधारियों को उनकी इमारत की हानि के लिए प्रतिस्थापन कीमत पर नकद सहायता दी जाएगी, जिसका निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 में बताए अनुसार किया जाएगा। e) सभी कब्जाधारी (खोखों के इतर) गुजारे भत्ते की तौर पर 36,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के पात्र होंगे। f) खोखों के इतर सभी कब्जाधारियों को स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर प्रति परिवार स्थायी इमारतों के लिए 50,000 रुपये, अर्ध-स्थायी इमारतों के लिए 30,000 रुपये और अस्थायी इमारतों के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। g) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, कामकाजी शेड या दुकान के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की सहायता। h) खोखों या किओस्क के मामले में एकमुश्त सहायता की तौर पर केवल 5000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

क्र.सं.	विनियोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
E. आजीविका की हानि				
6	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर रह रहे परिवार	स्वत्वाधिकार धारक/ गैर-स्वत्वाधिकार धारक/बंटाईदार, खेतिहर मजदूर और कर्मचारी	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) एकमुश्त सहायता की तौर पर 36,000 रुपये का गुजारा भत्ता। (ऊपर 1(f), 2(f) और 5(e) के तहत समाहित पीएपी इस सहायता के अधिकारी नहीं होंगे)। b) आय उत्पत्ति के लिए प्रति परिवार 10,000 रुपये की प्रशिक्षण सहायता। c) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को परियोजना निर्माण कार्य में अस्थायी रोजगार, जिसमें निर्माण के दौरान परियोजना ठेकेदार द्वारा कमजोर समूहों पर यथासंभव खास ध्यान दिया जाएगा।
F. कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता				
7	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर रह रहे परिवार	एससी, एसटी, बीपीएल, डब्ल्यूएचएच परिवार	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	50,000 रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता। धारा 5 में पहले ही समाहित कब्जाधारी और अतिक्रमणकारी इस सहायता के पात्र नहीं हैं।
G. सामुदायिक अवसंरचना/साझा संपत्ति संसाधनों की हानि				
8	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर इमारतें और अन्य संसाधन (जैसे भूमि, जल, इमारतों के पहुंच मार्ग आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक भवनों और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण	समुदाय के साथ सलाह-मशविरा करके सामुदायिक भवनों तथा साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण।
H. निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
9	निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित हुई जमीन और परिसंपत्तियां	जमीन और परिसंपत्तियों के स्वामी	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव के लिए मुआवजा, उदाहरण के लिए सामान्य यातायात का रास्ता बदलना, भारी मशीनरी की आवाजाही और संयंत्र स्थल के कारण जमीन/परिसंपत्ति की नजदीकी हिस्से को नुकसान।	परिसंपत्तियों की हानि, फसलों और किसी भी अन्य नुकसान के लिए ठेकेदार द्वारा मुआवजे का भुगतान 'ठेकेदार' और 'प्रभावित पक्ष' के बीच पूर्व समझौते के अनुसार किया जाएगा।
J.	**पुनर्स्थापन स्थल**			
10	आवासीय भवनों की हानि	विस्थापित स्वत्वाधिकार धारक और गैर-स्वत्वाधिकार धारक	पुनर्स्थापन स्थल/विक्रेता बाजार के प्रावधान	यदि न्यूनतम 25 परियोजना विस्थापित परिवार सहायता-प्राप्त पुनर्स्थापन का विकल्प चुनती हैं, तो पुनर्स्थापन स्थल परियोजना के अंग की तौर पर विकसित किया जाएगा। पुनर्स्थापन स्थल पर भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन में कमजोर पीएपी को वरीयता दी जाएगी। भूखंड का आकार आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 में दिए गए अधिकतम के प्रावधान के अधीन गंवाए गए आकार के समतुल्य होगा। पुनर्स्थापन स्थल पर परियोजना द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी प्रकार, यदि कम से कम 25 विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान (छोटे व्यवसाय उद्यम) शॉपिंग इकाइयों का विकल्प चुनते हैं तो परियोजना प्राधिकरण विस्थापित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके नजदीकी इलाके में उपयुक्त स्थान पर एक विक्रेता बाजार का विकास करेगा। विक्रेता बाजार में बुनियादी सुविधाएं जैसे संपर्क मार्ग, बिजली का कनेक्शन, पानी और साफ-सफाई की सुविधा आदि परियोजना द्वारा प्रदान की जाएंगी। विक्रेता बाजार में दुकानों के आवंटन में कमजोर पीएपी को वरीयता दी जाएगी। एक विस्थापित परिवार पुनर्स्थापन स्थल पर केवल एक भूखंड अथवा विक्रेता बाजार में केवल एक दुकान का पात्र तथा हकदार होगा।

0.18 Analysis of Alternatives

विकल्पों का विश्लेषण अत्यंत महत्त्वपूर्ण गतिविधि है, जिसकी वजह से जनसंख्या और संपत्तियों पर नकारात्मक प्रभावों को कम से कम किया जा सकता है और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। चौड़ा करने के प्रावधान और सीओआई का टेक्निकल टीम ने मूल्यांकन किया और इस क्रम में सार्वजनिक विचार-विमर्श के परिणाम तथा साथ ही परियोजना सड़क के किनारे बसे लोगों के सुझावों पर भी विचार किया। सर्वाधिक घने बसे निर्मित क्षेत्रों में उपलब्ध आरओडब्ल्यू के भीतर ही डिजाइन में संकेंद्र या कंसेंट्रिक चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि भूमि अधिग्रहण से बचा सके और गैर-स्वत्वाधिकार धारकों के विस्थापन को कम से कम किया जा सके। अनुमानित रूप से सुल्तानपुरा गांव में 167+000 से 167+540 कि.मी. के बीच तकरीबन 300 मी. की लंबाई प्रभावित हो रही है, जहां उपलब्ध आरओडब्ल्यू केवल 8 मी. है, इसलिए आवासीय और व्यावसायिक इमारतों को बचाने के लिए संक्रेंद्र या कंसेंट्रिक चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसलिए विकल्पों की पड़ताल की गई और आकलन किया गया। नीचे की तालिका में बताए गए 2 विकल्पों पर विचार करते हुए विकल्पों का विश्लेषण किया गया। विकल्प 1 को स्वीकार किया गया, क्योंकि इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रयोग किया जाने वाला 8 मी. का यह टिपीकल क्रॉस सेक्शन उपलब्ध आरओडब्ल्यू में ही समाहित हो जाएगा।

a. विकल्प-1 : मौजूदा सड़क को बहाल करना।

b. विकल्प-2 : 13 मी. चौड़ा करना।

प्रभाव श्रेणी	विकल्प 1	विकल्प 2
इमारतों की हानि	0	56
भूमि अधिग्रहण	0	2 हेक्टेयर
प्रभावित घर-परिवार	0	67
धार्मिक इमारतों की हानि	0	3
प्रभावित पीएपी	0	266
जलाशयों की हानि	0	0

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे

उपरोक्त विकल्पों पर विचार करते हुए सुल्तानपुरा गांव के लिए विकल्प 1 का मूल्यांकन किया गया। चूंकि इसमें कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, इसलिए घर-परिवारों को प्रभावित होने से बचा लिया जाएगा। जहां तक विकल्प 2 की बात है, इसमें 56 घर-परिवारों तथा 3 सीपीआर के प्रभावित होने के अलावा भूमि का अधिग्रहण करना होगा। इसलिए विकल्प 1 को सही माना गया।

0.19 सड़क चौड़ी करने के विकल्प

सड़क का डिजाइन बनाते समय सामाजिक मुद्दों को उचित महत्व दिया गया। सामाजिक और डिजाइन टीमों के बीच तालमेल और समन्वय से पीएपी और प्रभावित पीएएच की संख्या को न्यूनतम करने में मदद मिली। लोगों की इच्छा के विरुद्ध उनकी जमीन लेने और सामाजिक प्रभावों बचने के लिए पूरी सड़क के बहुतायत हिस्सों के लिए संकेंद्र या कंसेंट्रिक चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है। पूरी परियोजना के केवल 11.93 प्रतिशत हिस्से में ज्यामितीय या जिओमेट्रिक सुधार और मौजूदा सड़क की सीध में सुधार करने के लिए उत्केंद्र या एसेंट्रिक विकल्प (एक तरफ चौड़ा करना) का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि जो लोग राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के भीतर हैं, लेकिन कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर नहीं हैं, वे परियोजना की वजह से विस्थापित नहीं होंगे। जिन टिपिकल क्रॉस सेक्शन को लागू किया गया है, वे नीचे की तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 0.24: टिपिकल क्रॉस सेक्शन

क्र.संख्या	क्रॉस सेक्शन का प्रकार	विवरण
1.	टीसीएस -1ए	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड और अर्थन या मिट्टी के शोल्डर (ग्रामीण खंड) –पुनर्निर्माण खंड
2.	टीसीएस -1बी	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड और अर्थन या मिट्टी के शोल्डर (ग्रामीण खंड) –सीध मिलाना या रिएलाइनमेंट
3.	टीसीएस -1सी	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड और अर्थन या मिट्टी के शोल्डर (ग्रामीण खंड) – ऊंचा उठाने के कारण नया
4.	टीसीएस -2	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड शोल्डर और ऊंचे उठे फुटपाथ सह नाली के साथ (शहरी/अर्ध-शहरी खंड)
5.	टीसीएस -3ए	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड शोल्डर और ढकी हुई नाली के साथ
6.	टीसीएस -3बी	ढकी हुई नाली के साथ 6 मी. का परिवहन मार्ग

सुरक्षा आवश्कताओं और साथ ही तेज रफ्तार से चलने वाले यातायात को स्थानीय धीमी रफ्तार से चलने वाले यातायात से पृथक करने को ध्यान में रखते हुए पूरी परियोजना सड़क में पेव्ड शोल्डर का प्रस्ताव किया गया है।

निर्मित स्थानों का उन्नयन

पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन वाले वर्तमान परियोजना उन्नयन के संदर्भ में पीएपी का संख्या को निर्धारित करने में कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट सबसे महत्त्वपूर्ण मानदंड है। परियोजना की जरूरतों की मांग है कि समूचा कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों, मानव आबादी और संरचनाओं से मुक्त होना चाहिए। अतिक्रमणकारियों और कब्जाधारियों को आरओडब्ल्यू से बेदखल करने से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि वे उन जगहों पर फिर से कब्जा नहीं कर लेंगे। इसलिए सभी आकलन और गणनाएं केवल सीओआई तक सीमित रखी गईं और परियोजना कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के बाहर किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं करेगी, फिर भले ही वह आरओडब्ल्यू के भीतर हो। वर्तमान सड़क पर 4 स्थान ऐसे हैं जहां भारी शहरी निर्माण हैं, इन स्थानों पर प्रतिकूल प्रभावों से बचने/न्यूनतम करने के लिए 13 मी. के सीओआई को उचित माना गया। इन स्थानों पर उन्नयन के लिए कुछ कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों को हटाने की आवश्यकता होगी। परियोजना सड़क के साथ इन निर्मित इलाकों की कड़ी-वार अवस्थिति नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट की गई है।

तालिका 0.25: परियोजना सड़क के साथ निर्मित स्थल

क्र. संख्या	कड़ी		लंबाई (मी.)	नगर/गांव का नाम
	से	तक		
1	129+430	131+750	2.320	गुरसराय
2	160+150	160+600	0.450	राम नगर
3	165+200	165+750	0.550	सिया
4	166+900	167+500	0.600	सुल्तानपुरा

0.20 पुनर्स्थापन का समय

पुनर्स्थापन की प्रक्रिया उस मार्ग विशेष पर सिविल कार्य शुरू होने तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। सीओआई के भीतर स्थित पीएपी के पुनर्स्थापन का निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का विकास पीडब्ल्यूडी उस परियोजना सड़क के किसी भी खंड का सिविल कार्य प्रारंभ होने से पहले करेगा। सिविल कार्य शुरू होने से पहले इन लोगों को उनकी संपत्ति को खाली करने के लिए कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। नवंबर 2014 में यूपी पीडब्ल्यूडी के साथ इलाके का दौरा करने के दौरान ठेकेदार को सौंपने के लिए मील के पत्थर या माइलस्टोन को अंतिम रूप दे दिया गया। मील का पत्थर परियोजना गलियारे में बगैर किसी रुकावट के स्थापित है।

ठेकेदार को पहले वे टुकड़े या पट्टियां सौंपी जाएंगी जो अतिक्रमणों और अन्य बाधाओं से मुक्त हैं। ठेकेदार को सौंपी जाने वाली पट्टियों या टुकड़ों की समय सारणी नीचे दी गई है।

तालिका 0.26: हिस्से या पट्टियां ठेकेदार को सौंपे जाने की योजना

मार्ग संख्या	सड़क का नाम	मील का पत्थर	कड़ी		कुल कि.मी.	ठेकेदार को सौंपने की तारीख
			प्रारंभ	अंत		
1	गरौठा-चिरगांव	1	132+000	137+000	5.000	प्रारंभ होने की तारीख पर
			140+000	146+000	6.000	
			147+000	149+000	2.000	
मील का पत्थर-1 का उप योग					**13.000**	
2	गरौठा-चिरगांव	2	118+600	129+000	10.400	प्रारंभ तिथि से 6 महीने
			131+000	132+000	1.000	
			137+000	140+000	3.000	
			146+000	147+000	1.000	
			149+000	160+000	11.000	
			161+000	165+000	4.000	
Sub Total of Mile Stone-2					**30.400**	
1	गरौठा-चिरगांव	3	129+000	131+000	2.000	प्रारंभ तिथि से 12 महीने
			160+000	161+000	1.000	
			165+000	167+745	2.745	
मील का पत्थर-3 का उप योग					**5.745**	
मील का पत्थर 1+2+3 का महायोग					**49.145**	

0.21 सांस्थानिक व्यवस्था

कार्य योजना में योजना के समुचित संघटन और क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत व्यवस्था बताई गई है। एक सामाजिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) अधिकारी होगा, जिसकी सहायता के लिए प्रत्येक सड़क का एक आर एंड आर प्रबंधक (कार्यपालक अभियंता के दर्जे का) होगा। इसके अलावा क्रियान्वयन प्राधिकरण और साथ प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए आर एंड आर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को संविदा पर रखा जा सकता है। प्रतिस्थापन मूल्य के निर्धारण और लोगों की सभी शिकायतों का निपटारा करने में सुगमता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।

0.22 एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र

मुख्यालय स्तर पर एक एकीकृत शिकायत निवारण व्यवस्था (आईजीआरएम) स्थापित की जाएगी, जो विभिन्म माध्यमों (उदारहरण के लिए, एक इसी कार्य के लिए समर्पित टोल फ्री फोन लाइन, वेब आधारित शिकायतें, फीडबैक पंजिका में लिखित शिकायतें और खुले जन दिवसों) का इस्तेमाल करते हुए इनका उपयोग करने वालों की शिकायतें दर्ज करेगी और समयबद्ध प्रणाली से उनका निराकरण करेगी। परियोजना एक शिकायत निवारण या जन संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो फोन और वेब आधारित शिकायतों को संभालने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यह अधिकारी परेशान व्यक्ति की शिकायत को ई-मेल के माध्यम से संबंधित अधिकारी को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। कोई भी फोन कॉल या वेब आधारित या ई-मेल प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ठ नंबर सृजित किया जाएगा, जो कॉल करने वाले के लिए संदर्भ नंबर होगा और वह उस संदर्भ नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत/पूछताछ की प्रगति के बारे में पता लगा सकेगा। किसी भी शिकायत का निराकरण शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। इस प्रणाली में एक संवर्धन या एस्केलेशन मैट्रिक्स होगा अर्थात यदि निर्धारित समयावधि में शिकायत/पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया गया है या संबंधित अधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, तो प्रणाली उस शिकायत/पूछताछ को ई-मेल के माध्यम से अगले स्तर पर बढ़ा देगी। टोल फ्री फोन लाइन की देखरेख सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक की जाएगी। निर्धारित समय के पहले या बाद में किया गया कोई भी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा और वॉइस मेल से शिकायत अधिकारी को संबोधित एक ई-मेल स्वतः ही भेज दिया जाएगा। शिकायत अधिकारी फिर उस ई-मेल को संबंधित अधिकारी को भेजेगा और फॉलो-अप करेगा। रिकॉर्ड किए गए संदेश का जवाब अगले दिन दिया जाएगा। परियोजना समुदायों/लाभान्वितों सहित

प्रमुख हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय खुलासों और जानकारी का साझा करने के लिए भी अपने आप को बचनबद्ध करेगी। पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर सामाजिक विकास अधिकारी का नाम और नंबर; टोल फ्री नंबर और साथ ही वेबसाइट का पता भी होगा।

0.23 क्रियान्वयन व्यवस्थाएं और समय सारिणी

यह पूर्वप्रत्याशा की जाती है कि आर एंड आर गतिविधियों को सिविल कार्य प्रारंभ करने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना मुख्यालय स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक विकास और पुनर्स्थापन प्रकोष्ठों की स्थापना करेगी। ईएसडीआरसी की कमान प्रधान अभियंता के हाथों में होगी और इसमें एक पर्यावरण और एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ होगा। इन विशेषज्ञों को बाजार से पारिश्रमिक देकर रखा जाएगा। परियोजना आरएपी के क्रियान्वयन के लिए एक एनजीओ की सेवाएं भी पारिश्रमिक पर लेगी। परियोजना जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वन इकाई की स्थापना करेगी। पर्यावरण और सामाजिक अधिकारी (ईएसओ) की तौर पर एक सहायक अभियंता को विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ईएसओ जिला स्तर पर लाइन विभागों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा और जहां भी आवश्यक होगा भूमि खरीद को सुगम बनाएगा। पुनर्स्थापन कार्य योजना दो वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी।

0.24 बजट

आरएपी के क्रियान्वयन में व्यय करना आवश्यक होगा, जो परियोजना की कुल लागत का अंग हैं। आरएंडआर बजट आरएपी की अनुमानित लागतों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है और मुआवजे, सहायता, प्रशासनिक व्ययस निगरानी और मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय सहित पुनर्स्थापन क्रियान्वयन के पूरे पैकेज के लिए लागत-वार, मद-वार बजट अनुमान प्रदान करता है। मुआवजा धनराशियों और अन्य सहायता व्यवस्थाओं के मूल्य वार्षिक मुद्रास्फीति कारक के आधार पर समायोजित किए जाएंगे।

कुल लागत की 5 फीसदी के आसपास धनराशि भौतिक आकस्मिकताओं के लिए अलग रख दी गई है। इस प्रकार की आकस्मिकताएं परियोजना में लगने वाले समय के बढ़ जाने के परिणामस्वरूप अथवा विभिन्न अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं।

अनुमानित लागतों में मुख्य रूप से संरचनागत लागत और आरएंडआर सहायता लागतें शामिल हैं।

सिविल कार्यों की लागत : बजट तैयार करते हुए आरएंडआर टीम ने परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य निकालने पर विशेष बल दिया। आरएंडआर टीम ने पीएपी के एक हिस्से, संबंधित जिले के राजस्व अधिकारियों, इस कार्य में लगाए गए स्थानीय उद्यमियों और यहां तक कि प्रत्येक किलोमीटर की पट्टी में गैर-पीएपी से भी दाम के डेटा का सत्यापन किया। पुनर्स्थापन बजट, खास तौर पर मुआवजे की गणना इसी आधार पर की गई है।

आर एंड आर सहायता : स्थान परिवर्तन भत्ता, गुजारा भत्ता और कामकाजी शेड के लिए अनुदान जैसी आर एंड आर सहायता धनराशियां परियोजना के लिए स्वीकृत आरएंडआर नीति से ली गई हैं।

क्रियान्वयन व्यवस्था के लिए लागत : एनजीओ, एमएंडई एजेंसी की सेवाएं लेने और लैंगिक कार्य योजना के क्रियान्वयन की लागत के अनुमान अन्य परियोजनाओं, पूर्वप्रत्याशित गतिविधियों और पीएपी की संख्या के आधार पर लगाए गए हैं।

आरएपी क्रियान्वयन का बजट **1.79 करोड़ रुपये** आता है। विस्तृत बजट नीचे प्रस्तुत है:

तालिका 0.27: आरएंडआर नीति पर आधारित आरएंडआर बजट की अनुमानित लागत

क्र.संख्या	मद	इकाई	दर (भा.रु.)*	कुल धनराशि
A	**प्रतिस्थापन लागत गैर-स्वत्वाधिकार धारकों की इमारतों के लिए**	**वर्ग कि.मी. में**		
1	स्थायी भवनों के लिए प्रतिस्थापन लागत	725.9	11,500	8347850
2	अर्ध-स्थायी इमारतों के लिए प्रतिस्थापन लागत	126.43	9,500	1201085

क्र.संख्या	मद	इकाई	दर (भा.रु.)*	कुल धनराशि
3	अस्थायी संरचनाओं के लिए प्रतिस्थापन लागत	426.24	4,000	1704960
4	चारदीवारी के लिए प्रतिस्थापन लागत	23.00	2,500	57500
	योग	**1301.57**		**11311395**
B	**सहायता**	**संख्या**		
1	कब्जाधारियों को गुजारा भत्ता की तौर पर 36,000 रुपये की एकमुश्त सहायता	16	36000	576000
2	स्थायी संरचना के लिए एकमुश्त अनुदान की तौर पर 50,000 रुपये का स्थान परिवर्तन भत्ता	8	50000	400000
3	अर्ध-स्थायी संरचना के लिए एकमुश्त अनुदान की तौर पर 30,000 रुपये का स्थान परिवर्तन भत्ता	1	30000	30000
4	अस्थायी संरचना के लिए एकमुश्त अनुदान की तौर पर 10,000 रुपये का स्थान परिवर्तन भत्ता	20	10000	200000
5	खोखों या किओस्क के लिए एकमुश्त केवल 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा	36	5000	180000
6	आय सजृन के लिए 10,000 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता	42	10000	420000
			योग	**1806000**
C	**समुदाय/संपत्तियों के लिए सीपीआर-मुआवजा**	**वर्ग कि.मी.में**		
1	धार्मिक संरचनाओं के लिए मुआवजा	52.92	9500	502740
2	कुएं (संख्या में)	1.00	125000	125000
3	सामुदायिक चारदीवारी (परिचालन मी. में)	14.60	2500	36500
			योग	**664240**
D	**Implementation Arrangement**			
1	**क्रियान्वयन व्यवस्था**	एकमुश्त राशि		1000000
2	जीएपी का क्रियान्वयन	एकमुश्त राशि		1200000
3	एनजीओ की सेवाएं लेना	एकमुश्त राशि		1,000,000
4	एमएंडई एजेंसी की सेवाएं लेना	एकमुश्त राशि		100000
			योग	**3300000**
			योग (A+B+C+D)	**17081635**
			आकस्मिकता 5%	854081.75
			महायोग	**17935717**

*दर – जिला सर्किल दर के अनुसार (उत्तर प्रदेश सरकार)